संख्या-116/2017/2163/22-2-2016-17(415)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 27 फरवरी, 2017**

विषय:- जिला कारागार, कानपुर देहात में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुधीर बाल्मीकि पुत्र श्री कृष्ण, निवासी जनपद-कानपुर नगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3(एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 26-09-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी सुधीर बाल्मीकि पुत्र श्री कृष्ण, निवासी- 4बी काजीखेडा, थाना-चकेरी, जनपद-कानपुर नगर का निवासी है। दिनांक 21.02.2000 को सायं 06:00 बजे 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गौरव कालरा का अपहरण कर 10 लाख रूपये फिरौती की मांग की मांग पूरी न होने पर देशी तमंचे से गोली मारकर गौरव कालरा की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1407/2000 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-364ए, 302,201 तथा सत्र परीक्षण सं0-1186/2000 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारी-307/34 व 25 आर्म्स एक्ट में मा0 न्यायालय एवं अपर जिला सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-6, कानपुर नगर द्वारा दिनांक 22.04.2003 आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी की उम्र-29 वर्ष है। बन्दी द्वारा दिनांक 13.08.2015 तक 15 वर्ष 05 माह 11 दिन की अपरिहार तथा 19 वर्ष 03 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। बन्दी का 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध धारा'364ए/302/201 भा0द0वि0 का आरोप सिद्ध हुआ है, जो व्यक्ति विशेष के अलावा समाज को प्रभावित करता है, माता पिता की मृत्यु हो जाने के कारण कोई स्थायी निवास भी नहीं है, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना प्रतीत होने एवं जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, बन्दी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना प्रतीत होने, बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी की आयु 29 वर्ष की है जो शारीरिक रूप से अपराध करने में सक्षम प्रतीत होता है। अत: बन्दी को कारागार में आगे निरूद्ध रखना औचित्यपूर्ण होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अपने अभिमत में अंकित किया है कि बन्दी ने 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गौरव कालरा का अपहरण करके 10 लाख फिरौती की मांग पूरी न होने पर देशी तमंचे से गोली मारकर गौरव कालरा की निर्दयता पूर्वक हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी की आयु-29 वर्ष है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा अतिरिकत 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सुधीर बाल्मीकि पुत्र श्री कृष्ण को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी सुधीर बाल्मीकि (बन्दी संख्या-15/14) पुत्र श्री कृष्ण, निवासी जनपद-कानपुर नगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-116/2017/2163(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-कानपुर नगर।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, कानपुर देहात।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-116/2017/2163@22-2-2016-17(415)/2016

दिनांक 27 फरवरी, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

जिला कारागार, सिद्धार्थनगर में निरूद्ध बन्दी सुधीर बाल्मीकि पुत्र श्री कृष्ण, निवासी-4बी काजीखेडा, थाना-चकेरी, जनपद-कानपुर नगर का निवासी है। दिनांक 21.02.2000 को सायं 06:00 बजे 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गौरव कालरा का अपहरण कर 10 लाख रूपये फिरौती की मांग की मांग पूरी न होने पर देशी तमंचे से गोली मारकर गौरव कालरा की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1407/2000 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-364ए, 302,201 तथा सत्र परीक्षण सं0-1186/2000 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारी-307/34 व 25 आर्म्स एक्ट में मा0 न्यायालय एवं अपर जिला सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-6, कानपुर नगर द्वारा दिनांक 22.04.2003 आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी की उम्र-29 वर्ष है। बन्दी द्वारा दिनांक 13.08.2015 तक 15 वर्ष 05 माह 11 दिन की अपरिहार तथा 19 वर्ष 03 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। बन्दी का 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध धारा'364ए/302/201 भा0द0वि0 का आरोप सिद्ध हुआ है, जो व्यक्ति विशेष के अलावा समाज को प्रभावित करता है, माता पिता की मृत्यु हो जाने के कारण कोई स्थायी निवास भी नहीं है, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना प्रतीत होने एवं जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, बन्दी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना प्रतीत होने, बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी की आयु 29 वर्ष की है जो शारीरिक रूप से अपराध करने में सक्षम प्रतीत होता है। अत: बन्दी को कारागार में आगे निरूद्ध रखना औचित्यपूर्ण होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अपने अभिमत में अंकित किया है कि बन्दी ने 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गौरव कालरा का अपहरण करके 10 लाख फिरौती की मांग पूरी न होने पर देशी तमंचे से गोली मारकर गौरव कालरा की निर्दयता पूर्वक हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी की आयु-29 वर्ष है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा अतिरिकत 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सुधीर बाल्मीकि पुत्र श्री कृष्ण को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in